



Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL  
BHOPAL Division , BHOPAL  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100014284/FNOC/COL/2024/8260  
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 18, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 18-Apr-24  
आवेदक का नाम / Applicant Name : ISHAAN INTERNATIONAL SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : VIRNDAVAN EDUCATION AND WELFARE SOCIETY ADD:-  
KURWAI ROAD, SIRONJ DIST-VIDISHA VIDISHA 464228  
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval  
अधिभोग का प्रकार /Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन  
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 7 ( मीटर में / Meter )  
भूमि / भवन का क्षेत्रफल /Plot / Building Area: 7820 ( Sq.Mtr )  
संपत्ति का पता / Property Address : KH.NO. 2232/1, 2232/2, 2232/3, KURWAI ROAD, SIRONJ DIST-  
VIDISHA SIRONJ NAGAR PALIKA  
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100014284 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

### टिप्पणि / Remarks-

संयुक्त संचालक कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग

क्र.फायर प्लान एप्रूवल.सं.सं.२०२४.०८

भोपाल, दिनांक 18.04.2024

फायर प्लान अप्रूवल

आवेदन क्र./ तिथि : 6100014284/18.04.2024  
आवेदक का नाम एवं पता : इशान इंटरनेशनल स्कूल, खसरा नं. 2232/1, 2232/2, 2232/3,  
कुरवाई रोड, नगर पालिका सिरोंज, जिला-विदिशा (म.प्र.)  
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार : फायर प्लान अप्रूवल  
अधिभोग का प्रकार : शैक्षणिक भवन  
प्लॉट एरिया 7820 वर्ग मीटर  
भवन क्षेत्रफल 1522 वर्ग मीटर, ऊंचाई 7 मीटर

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन के परीक्षण उपरांत आवेदक को निम्नलिखित प्रावधानों व शर्तों के अंतर्गत फायर प्लान का अनुमोदन किया जाता है।



Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL  
BHOPAL Division , BHOPAL  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100014284/FNOC/COL/2024/8260

आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 18, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 18-Apr-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : ISHAAN INTERNATIONAL SCHOOL

1. निम्नांकित आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण स्थापित करना अनिवार्य होगा।

- (1) Access.
- (2) Wet Riser.
- (3) Down Comer.
- (4) Hose Reel.
- (5) Automatic Sprinkler System.
- (6) Yard Hydrant.
- (7) U.G. Tank with Draw off Connection.
- (8) Terrace Tanks.
- (9) Fire Pump.
- (10) Terrace Pump.
- (11) First Aid Fire Fighting Appliances.
- (12) Pressurization System.
- (13) Auto Detection System.
- (14) Manual operated Electrical Fire Alarm System.
- (15) P.A. System with talk back facility.
- (16) Emergency Light.
- (17) Auto D.G. Set.
- (18) Illuminated Exit Sign.
- (19) Means of Escape.
- (20) Compartmentation.
- (21) MCB/ELCB.
- (22) Fireman Switch in Lift.
- (23) Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.
- (24) Refuge Area

2. उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस.आई. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।



Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL  
BHOPAL Division , BHOPAL  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100014284/FNOC/COL/2024/8260

आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 18, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 18-Apr-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : ISHAAN INTERNATIONAL SCHOOL

- नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में चिह्नित परिसंचरण मार्ग वाहन आवागमन हेतु बाधारहित रखना अनिवार्य होगा।
- भूमि विकास अधिनियम 2012 में अग्नि सुरक्षा के लिये शैक्षणिक भवन हेतु उल्लेखित प्रावधान/नियमों एवं एम.ओ.एस. का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- निर्मित भवन में अग्नि शमन सुरक्षा हेतु नियुक्त व्यक्ति/कर्मियों को अग्नि सुरक्षा सम्बंधी प्राथमिक उपाय एवं फायर सिस्टम के संचालन का प्रशिक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- अग्नि सुरक्षा सम्बंधी उपाय/उपकरण स्थापित किये जाने के उपरांत अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय से निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- अनुमोदिन फायर प्लान अनुसार आवेदक को 02 माह की अवधि में फायर उपकरण स्थापित कर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।
- फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र म.प्र.भूमि विकास नियम 2012 एवं नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा जारी मार्गदर्शिका अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।
- अग्नि दुर्घटना की स्थिति से निपटने हेतु आपातकालीन सीढ़ी (Emergency-Exit) का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करें।
- निर्मित भवन की स्थिति में फायर प्लान के अनुमोदन होने के उपरांत फायर उपकरण स्थापित करने के दौरान अथवा विलंब की स्थिति में किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- आवेदक को अनुमोदित फायर प्लान में प्रस्तावित फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण कार्य पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि शमन प्राधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण करने के उपरांत वैधानिक रूप से आवश्यक " अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके। तदुपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/स्वायत्त प्रदाय किया जावेगा।
- आवेदक द्वारा स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा विभाग द्वारा प्रदाय फायर प्लान अप्रूवल स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

PRINCIPAL  
ISHAAN INTERNATIONAL SCHOOL  
KURWAI ROAD, SIRONJ  
DIST. VIDISHA (M.P.)



Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL  
BHOPAL Division , BHOPAL  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100014284/FNOC/COL/2024/8260

आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 18, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 18-Apr-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : ISHAAN INTERNATIONAL SCHOOL


14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण आधार पर फायर प्लान का अप्रूवल किया जाता है। किसी भी प्रकार के भूस्वामित्व/दस्तावेज के सम्बंध में शासकीय/अशासकीय विवाद की स्थिति में जारी किया गया अनुमोदन निरस्त माना जावेगा।

**SURESH  
KUMAR  
BELIYA**

Digitally signed by  
SURESH KUMAR  
BELIYA  
Date: 2024.04.18  
16:53:31 +05'30'

Joint Director/Fire Officer BHOPAL

BHOPAL Division , BHOPAL  
Madhya Pradesh

  
PRINCIPAL  
ISHAAN INTERNATIONAL SCHOOL  
KURWAI ROAD, SIRONJ  
DIST. VIDISHA (M.P.)